

रांची में 'रेरा बिहार से रूबरू' कार्यक्रम, बिल्डरों को निवेश का न्योता

राष्ट्रीय मुख्यधारा

रांची: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष श्री विवेक कुमार सिंह ने झारखण्ड में काम कर रहे बिल्डरों से कहा है कि वे बिहार के भू-सम्पदा प्रक्षेत्र में निवेश करें एवं राज्य में हो रहे त्वरित विकास का लाभ लेकर आम लोगों के आवास की जरूरत को पूरा करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

श्री सिंह रera बिहार द्वारा रांची में आयोजित 'रेरा बिहार से रूबरू' कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन बिहार के भू-सम्पदा प्रक्षेत्र में 'ईज आफ ड्रिंग बिजनेस' से अवगत कराना था ताकि निवेशक राज्य में आकर काम करें एवं बिहार में घर अथवा प्लॉट खरीदने के ईच्छुक

व्यक्तियों के हितों के रक्षा हेतु रera बिहार बिहार द्वारा उठाये गए क़दमों की जानकारी देना था।

रूबरू कार्यक्रम प्रायः ऐसे स्थानों पर स्थानों पर किया जाता है जहां बिहार के रहने वाले घर खरीदार एवं प्रमोटर दोनों ही बड़ी संख्या में रहते हैं।

मंगलवार के कार्यक्रम में झारखण्ड के विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह, झारखण्ड रera के अध्यक्ष श्री बिरेन्द्र भूषण के साथ-साथ झारखण्ड राज्य में काम कर रहे बिल्डर्स एवं बिहार में घर खरीदने को इच्छुक घर खरीदारों ने भाग लिया।

रेरा बिहार के अध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण ने फ़िल्टर व्यवस्था लागू की है ताकि प्रोजेक्ट के निबंधन के लिए आवेदन देते समय उन्हें कोई



कठिनाई न हो और वे आसानी से सारी प्रक्रिया आसानी से पूरी कर सकें। "अगर कोई प्रमोटर सारे कागजात सही से जमा करते हैं तो प्राधिकरण निबंधन देने में उदार रवैया अपनाता है।

श्री सिंह ने यह भी कहा कि रera बिहार घर खरीददारों की हितों की रक्षा के लिए कठिबद्ध हैं और उनके

विरुद्ध किसी भी अन्याय से सख्ती से निपटता है।

रेरा बिहार द्वारा किये गए कार्यों की सराहना करते हुए विकास आयुक्त श्री अजय सिंह ने कहा कि झारखण्ड रera को भी इस तरह के कार्य करने चाहिए ताकि घर खरीददारों के हितों की रक्षा हो सके।

रेरा झारखण्ड के अध्यक्ष श्री

बिरेन्द्र भूषण ने कहा की रera बिहार द्वारा किये जा रहे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता है और इस कार्यक्रम से उनके बातों को सीखने का मौका मिला और उन्हें झारखण्ड में लागू करने की कोशिश की जायेगी।

रेरा बिहार के जांच आयुक्त श्री संजय सिंह ने रera निबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला एवं कहा कि घर खरीदने समय इसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए।

रेरा बिहार के सचिव श्री अनीमेष पाण्डेय ने प्रतिभागियों की आज के कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत कराया एवं विशेष कार्य पदाधिकारी श्री राजेश थदानी ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के दौरान जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से रera बिहार द्वारा बनाई गई दो लघु फिल्मों भी दिखाई गईं।

इस अवसर पर रera बिहार की एक टीम ने एक प्रस्तुति दी, जिसमें प्रमोटरों को बिहार के भू-सम्पदा प्रक्षेत्र में मौजूद अवसरों की जानकारी दी गयी एवं रera बिहार द्वारा प्रमोटरों के काम को आसान करने हेतु उठाये गए क़दमों की जानकारी दी गयी। प्रस्तुति में रera बिहार द्वारा घर खरीदारों के हितों की रक्षा हेतु उठाये गए क़दमों की भी विस्तृत जानकारी दी गयी। घर खरीदने वालों के लिए एक अलग प्रस्तुति दी गई, जिसमें उन्हें उन बिंदुओं के बारे में बताया गया, जिन पर किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के अंत में एक खुला सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें रera अधिनियम के बारे में प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान किया गया।